

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)

:: आदेश ::

क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2023

राजनांदगाँव दिनांक 30.10.2023

में ओमप्रकाश साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह नवंबर एवं दिसंबर, 2023 के अवकाश दिवसों में अत्यावश्यक कार्य यथा रिमांड आदि कार्य संपादित किए जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ड्यूटी दोपहर के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक मय स्टॉफ के लगाई जाती हैं –

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	रिमांड ड्यूटी की तिथि
1	श्री भूपत सिंह साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	18 एवं 19 नवंबर, 2023 तथा 18 दिसंबर, 2023
2	श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	11 एवं 12 नवंबर, 2023 तथा 31 दिसंबर, 2023
3	श्रीमती रुचि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	26 एवं 27 नवंबर, 2023 तथा 25 दिसंबर, 2023
4	श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	05 एवं 07 नवंबर, 2023 तथा 24 दिसंबर, 2023
5	श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	13 एवं 14 नवंबर, 2023
6	श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	10, 16 एवं 17 दिसंबर, 2023
7	कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.)	15 नवंबर, 2023 तथा 03 एवं 09 दिसंबर, 2023

टीप –

1. उक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त यदि राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आकस्मिक रूप से कोई अवकाश घोषित किया जाता है, ऐसी दशा में–

(ए) दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 30.11.2023 के मध्य अवकाश की दशा में श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.) के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में श्री भूपत सिंह साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.) के द्वारा कार्य संपादन किया जावेगा।

(बी) दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 के मध्य अवकाश की दशा में श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.) के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा, उनकी अनुपस्थिति की दशा में श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगाँव (छ.ग.) के द्वारा कार्य संपादन किया जावेगा ।

2. रिमांड ड्यूटी के स्तंभ क्रमांक-02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यदि किसी कारणवश अत्यावश्यक कार्य करने हेतु असमर्थ हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर अवकाश हेतु प्रेषित आवेदन पत्र में सहमति प्राप्त कर प्रेषित करेंगे तथा संबंधित दिनांक पर स्तंभ क्रमांक-02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर सहमति प्रदान करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक रिमांड आदि का कार्य संपादित किया जावेगा ।

सही/-

(ओमप्रकाश साहू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक क/स्टेनो/मु.न्या.मजि./2023

राजनांदगाँव दिनांक 30.10.2023

प्रतिलिपि -

- 1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव महोदय को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2) श्री भूपत सिंह साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 3) श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 4) श्रीमती रुचि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 5) श्री आशीष भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 6) श्रीमती अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 7) श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 8) कु. प्रेरणा वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगाँव (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

- 9) निष्पादन लिपिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 10) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 11) अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, राजनांदगाँव (छ.ग.)
- 12) जिला नाजिर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सही/-

(ओमप्रकाश साहू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजनांदगाँव (छ.ग.)